

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 7(88) शिक्षा-2/2018/जयपुर दिनांक 12.02.2019 एवं ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014 की अनुपालना में नीचे वर्णित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीवीक्षाकाल की अवधि में निम्नांकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवैतनिक अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	लिय गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	अवकाश का प्रकार
1	खुशाबु यादव, राउमावि बीजवाड चौहान, अलवर	रसायन विज्ञान	20.06.18 से 28.06.18 तक 02.07.2018 से 06.07.2018 तक 10.07.2018 से 20.07.2018 तक 24.07.2018 से 03.08.2018 तक 12.09.2018 से 16.09.2018 तक 01.10.2018 से 11.10.2018 तक 13.11.2018 से 26.11.2018 तक (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	66 दिवस	अवैतनिक अवकाश
2	रचिनान्तिका शर्मा, राउमावि छाणी, खेरवाडा, उदयपुर	जीव विज्ञान	20.11.2017 से 23.11.2017 तक 18.12.2017 से 19.12.2017 तक 23.12.2017 13.02.2019 से 28.02.2019 तक (बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	23 दिवस	अवैतनिक अवकाश


(सौरभ स्वामी)


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीग/अवकाश(2)/वो.-2/2019-20

दिनांक 29/05/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
03. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि।
04. संबंधित कार्मिक।
05. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
06. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर